भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1199**

28.07.2025 को उत्तर के लिए

**एनसीएपी की स्थिति**

**1199. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :**
**श्री सुधीर गुप्ता :**
**श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव :**
**श्री मनीष जायसवाल :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किए गए महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) एनसीएपी के अंतर्गत सरकार द्वारा इसके आरंभ से अब तक कुल कितने शहरों में सिटी एक्शन प्लान (सीएपी) कार्यान्वित किया गया है;

(ग) जिन शहरों में सीएपी लागू किया गया है वहां वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में यह कितना सफल रहा है;

(घ) क्या सरकार ने एनसीएपी के अंतर्गत विभिन्न बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, नागरिक निकायों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के लिए सीएपी के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के लिए संस्वीकृत और जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (ङ): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का उद्देश्य 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 130 शहरों (मानकों को पूरा न करने वाले शहरों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों) में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। एनसीएपी एक बहु-क्षेत्रीय पहल है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और अन्य हितधारकों के समन्वित प्रयास शामिल हैं। यह शहर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के माध्यम से स्रोत-विशिष्ट उपशमन संबंधी उपायों पर बल देता है।

यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं–जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), एएमआरयूटी, स्मार्ट सिटी मिशन, 'एसएटीएटी' तथा नगर वन योजना – के माध्यम से संसाधन जुटाकर शहरी कार्य योजनाओं (सीएपी) का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, नगर निगमों और शहरी विकास प्राधिकरणों के संसाधनों का लाभ उठाता है। एनसीएपी के तहत महत्वपूर्ण अंतर को पूरा करने के लिए शहरों को कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जाता है।

सभी शहरों द्वारा अपने-अपने शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को लागू करने के लिए शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं। ये योजनाएँ मिट्टी और सड़क की धूल, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, अपशिष्ट दहन, निर्माण एवं विध्वंस कार्यकलापों, और औद्योगिक प्रदूषण जैसे विभिन्न स्रोतों से वायु प्रदूषण कम करने के उपायों पर केंद्रित हैं।

राष्ट्रीय स्तर (शीर्ष, संचालन, निगरानी और कार्यान्वयन), राज्य स्तर (संचालन और निगरानी) और शहर स्तर पर निगरानी और कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं, जो निधि के उपयोग सहित शहर की कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समन्वय, निगरानी, प्रगति का मूल्यांकन और मार्गदर्शन प्रदान करेंगी।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 14 मई, 2025 के पत्र के माध्यम से दिशानिर्देशों को संशोधित किया है तथा यह सूचित किया है कि 82 शहरों को प्रदान की गई धनराशि का उपयोग 5 प्रमुख कार्यों में किया जाना है, जिसमें धूल नियंत्रण के लिए सड़क सुधार कार्य, जैसे शुरू से अंत तक पक्की सड़कों का निर्माण, मशीनीकृत सड़क सफाई, यातायात गलियारे को हरा-भरा बनाना, भीड़भाड़ कम करने के लिए यातायात जंक्शनों में सुधार आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 22.05.2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से शहरों को केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं, एनसीएपी के तहत आवंटित धन और अपने स्वयं के संसाधनों के साथ अभिसरण के माध्यम से संसाधनों का लाभ उठाकर मिशन मोड में 100% संतृप्ति के लिए शहरी कार्य योजना को लागू करने के लिए सूचित किया है।

मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड के तहत चिन्हित किए गए दस लाख से अधिक आबादी वाले सभी 48 शहरों के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), राज्य सरकारों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, एनसीएपी के तहत वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करने वाले शेष शहरों (एनएसी) के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) और यूएलबी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौता ज्ञापनों में एनसीएपी के तहत विभिन्न बहु-क्षेत्रीय कार्यकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु लाभार्थियों की भूमिका और जिम्मेदारियों का विवरण दिया गया है।

130 शहरों में से, 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों/शहरी समूहों को वायु गुणवत्ता प्रदर्शन अनुदान के रूप में पंद्रहवें वित्त आयोग के मिलियन-प्लस सिटी चैलेंज निधि के तहत वित्त पोषित किया जाता है, और शेष 82 शहरों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत वित्त पोषित किया जाता है। वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर वित्तपोषण के रूप में 130 शहरों को 13,036.52 करोड़ रुपये का कार्य-निष्पादन आधारित अनुदान प्रदान किया गया है। एनसीएपी के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

एनसीएपी के अंतर्गत 130 शहरों द्वारा की गई लक्ष्यित कार्रवाइयों ने सकारात्मक परिणाम दर्शाए हैं, जिनमें से 103 शहरों में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2024-25 में पीएम10 की सांद्रता में कमी देखी गई है, जिनमें से 64 शहरों में आधार वर्ष 2017-18 की तुलना में पीएम10 के स्तर में 20% से अधिक की कमी देखी गई है और इनमें से 25 शहरों में 40% से अधिक की कमी देखी गई है। कुल 22 शहरों ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा किया है और उनमें पीएम10 की सांद्रता 60 $\mu g/m3$ से कम है। एनसीएपी के अंतर्गत आने वाले शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

**अनुबंध-I**

**एनसीएपी और 15वें वित्त आयोग वायु गुणवत्ता अनुदान के तहत स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा**

**(धनराशि करोड़ रुपये में)**

| **क्र. सं.** | **राज्य** | **वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 के दौरान स्वीकृत और जारी की गई धनराशि** | **वर्ष 2025-26 में आवंटित धनराशि** | **वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 361.09 | 126.16 | 23.08 |
| 2 | असम | 70.66 | 38.06 | 19.04 |
| 3 | बिहार | 328.11 | 143.67 | 41.23 |
| 4 | चंडीगढ़ | 32.81 | 10.56 | 5.28 |
| 5 | छत्तीसगढ | 295.64 | 69.07 | 4.78 |
| 6 | दिल्ली | 42.69 | 38.67 | 19.34 |
| 7 | गुजरात | 1262.42 | 241.00 | 20.56 |
| 8 | हरियाणा | 94.53 | 29.00 | 12.61 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 17.50 | 5.34 | 2.67 |
| 10 | जम्मू एवं कश्मीर | 115.95 | 72.05 | 36.02 |
| 11 | झारखंड | 279.44 | 95.00 | 0.00 |
| 12 | कर्नाटक | 597.52 | 194.41 | 14.20 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 767.04 | 207.21 | 53.00 |
| 14 | महाराष्ट्र | 1754.40 | 512.45 | 20.22 |
| 15 | मेघालय | 7.95 | 4.21 | 2.10 |
| 16 | नागालैंड | 20.00 | 11.13 | 5.56 |
| 17 | ओडिशा | 74.61 | 32.93 | 16.46 |
| 18 | पंजाब | 298.30 | 105.85 | 27.47 |
| 19 | राजस्थान | 661.25 | 181.15 | 19.13 |
| 20 | तमिलनाडु | 641.91 | 144.81 | 10.33 |
| 21 | तेलंगाना | 726.33 | 143.73 | 11.47 |
| 22 | उत्तर प्रदेश | 2591.78 | 704.52 | 231.20 |
| 23 | उत्तराखंड | 68.27 | 34.70 | 17.35 |
| 24 | पश्चिम बंगाल | 1278.53 | 276.32 | 34.68 |
| | **कुल** | **12388.73** | **3422*** | **647.79** |

***टिप्पणी:**

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत दस लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों/शहरी समूहों के लिए 2621 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 801.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 400.5 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

**अनुबंध-II**

**वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में एनसीएपी के तहत शहरों की पीएम10 सांद्रता में सुधार**

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2024-25 में पीएम10 में सुधार (%) | शहरों की संख्या | शहर |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 और उससे अधिक | 25 | गुजरात (2): राजकोट, सूरत; हिमाचल प्रदेश (1): नालागढ़ ; जम्मू एवं कश्मीर (1): श्रीनगर; झारखंड (1): धनबाद; महाराष्ट्र (3): बदलापुर, ग्रेटर मुंबई, उल्हासनगर; मेघालय (1): बर्नीहाट; नागालैंड (1): कोहिमा; पंजाब (2): अमृतसर, जालंधर; तमिलनाडु (1): तूतीकोरिन; उत्तर प्रदेश (11): आगरा, इलाहाबाद, बरेली, फ़िरोज़ाबाद, ग़ाज़ियाबाद, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, रायबरेली, वाराणसी; उत्तराखंड (1): देहरादून |
| 2 | 20-40 | 39 | आंध्र प्रदेश (6): अनंतपुर, कडप्पा, कुरनूल, नेल्लोर, राजमुंदरी, विजयवाड़ा; असम (2): नागांव, शिवसागर; गुजरात (2): अहमदाबाद, वडोदरा; हरियाणा (1): फ़रीदाबाद; हिमाचल प्रदेश (4): बद्दी , काला अंब, परवाणू, सुंदर नगर; जम्मू एवं कश्मीर (1): जम्मू; झारखंड (1): रांची; कर्नाटक (3): बेंगलुरु, देवनगेरे, हुबली -धारवाड़; मध्य प्रदेश (1): जबलपुर; महाराष्ट्र (3): अकोला, अमरावती; ठाणे नागालैंड (1): दीमापुर ; पंजाब (4): डेरा बाबा नानक, खन्ना, लुधियाना, नया नांगल; राजस्थान (2): अलवर, जोधपुर; तमिलनाडु (1): त्रिची; तेलंगाना (1): हैदराबाद; उत्तर प्रदेश (3): गजरौला , गोरखपुर, नोएडा; उत्तराखंड (1): ऋषिकेश; पश्चिम बंगाल (2): हावड़ा, कोलकाता |
| 3 | <20 | 39 | आंध्र प्रदेश (4): चित्तूर, एलुरु, गुंटूर, ओंगोल; असम (2): गुवाहाटी, नलबाड़ी; बिहार (2): मुजफ्फरपुर, पटना; छत्तीसगढ़ (1): दुर्ग -भिलाईनगर; दिल्ली (1): दिल्ली; हिमाचल प्रदेश (1): पोंटा साहिब; कर्नाटक (1): गुलबर्गा/कलबुर्गी; मध्य प्रदेश (3): भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन; महाराष्ट्र (9): चंद्रपुर, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नासिक, पुणे, सांगली, वसई- विरार; ओडिशा (1): कटक; पंजाब (2): मंडी-गोबिंदगढ़, पटियाला; राजस्थान (3): जयपुर, कोटा, उदयपुर; तमिलनाडु (2): चेन्नई, मदुरै; उत्तर प्रदेश (3): अनपरा , खुर्जा , मेरठ; उत्तराखंड (1): काशीपुर; पश्चिम बंगाल (3): आसनसोल, दुर्गापुर, हल्दिया |
| 4 | एनएएक्यूएस को पूरा करने वाले शहर | 22 | आंध्र प्रदेश (7): अनंतपुर, चित्तूर, कडापा, कुरनूल, नेल्लोर, ओंगोल, राजमुहंदरी; असम (2): सिल्चर, शिवसागर; हिमाचल प्रदेश (3): डमटाल, परवाणू, सुंदर नगर; कर्नाटक (2): देवनगेरे, गुलबर्गा/कलबुर्गी; पंजाब (2): डेरा बाबा नानक, नया नांगल; तमिलनाडु (3): चेन्नई, त्रिची, तूतीकोरिन; उत्तर प्रदेश (3): बरेली, झाँसी, वाराणसी |

*****